राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक एफ.39—7(1)(सेअ)/आरए/2014/1581

दिनांक 07.04.2016

: आदेश :

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप—3) विभाग, जयपुर के पत्रांक 2(204)राज—3/15 दिनांक 16.12.2015 से ग्राम राजगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 763 रकबा 2.15 हैक्टर, आ0न0 874 रकबा 45.77 हैक्टर, आ0न0 875 रकबा 5.59 हैक्टर, आ0न0 912 रकबा 15.85 हैक्टर कुल कीता 4 कुल रकबा 69.36 हैक्टर वन विभाग हेतु वन भूमि लैण्ड बैक हेतु आरक्षित की गई थी। इसमें से चम्बल परियोजना के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु जिला बून्दी की 0.8136 हैक्टर, जिला चित्तौडगढ की 1.6677 हैक्टर, जिला भीलवाड़ा की 2.1898 हैक्टर कुल 4.6711 हैक्टर वन भूमि के बदले ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द की वन विभाग हेतु उक्त आरक्षित आराजीयात में से आराजी नं0 874 के शेष रकबा 43.8376 हैक्टर में से आवंटन किया जाना है।

अतः ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द की आरक्षित वन भूमि आराजी नम्बर 874 रकबा 43.8376 हैक्टर में से 4.6711 हैक्टर भूमि वन विभाग को आवंटन किया जाता है।

(डॉ0 टीनाकुमार)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1—उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द
2—उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा
3—तहसीलदार, आसीन्द
4—पटवारी हल्का तिलोली
5—रक्षित पत्रावली

अति0 जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

153 Fig Annex.19 (1/2) 164

कार्यालय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक/राजस्व/वन/12-8 (1) 12/ 995

दिनांक 29 जून, 2012

निमित,

अधिशाषी अभियन्ता जन.स्वा.अभि.विभाग,
चम्बल भीलवाड़ा परियोजना,खण्ड प्रथम
भीलवाड़ा

विषयः- चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना में आने वाली वन भूमि के अनारक्षण के संबंध में।

प्रसंगः- आपका पत्रांक एफ ( ) 12/ 321-23 दिनांक 13.1.2012 एवं 28.6.2012

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने हेतु 3.73 हैक्टेयर वन भूमि उपयोग में आने से डायवर्जन चाहा गया था लेकिन मोके की वर्तमान स्थिति तथा पाईप लाईन के अनुसार पीरमगरा की 2.39 है., भुजरकला की 0.878 है. एवं श्रीपुरा की 0.18 है. भूमि की ही आवश्यकता होना बताते हुए वन भूमि के डायवर्जन का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में तहसीलदार रावतभाटा द्वारा अवगत करवाया गया कि चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने हेतु अनसर्वेड वन भूमि भुजरकला का 0.378 हैक्टेयर एवं भैंसरोड़गढ़ पीरमगरा का 2.39 हैक्टैयर कुल 3.27 हैक्टेयर, इसी प्रकार उक्त परियोजना हेतु ग्राम श्रीपुरा की वन विभाग के नाम अंकित आराजी नंबर 639 रकबा 9.52 हैक्टैयर में से 0.18 हैक्टैयर कुल 3.448 हैक्टयर वन भूमि उपयोग में आना बताते हुए उक्त अनसर्वेड वन भूमि की क्षतिपूर्ति ग्राम भैंसरोड़गढ़ की राजकीय बिलानाम आराजी नंबर 32 रकबा 3.29 हैक्टेयर से तथा श्रीपुरा की वन भूमि की क्षतिपूर्ति ग्राम श्रीपुरा की राजकीय बिलानाम आराजी नंबर 651 रकबा 0.30 हैक्टैयर में से 0.18 हैक्टैयर भूमि से किये जाने के प्रस्ताव अभिशंसा के साथ प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि परियोजना के उपयोग में आने वाली उक्त वन भूमि पर कोई आवासीय योजना नहीं है एवं न ही किसी आवासीय योजना को प्रभावित करती है।

इस कार्यालय के रिकार्ड अनुसार उक्त परियोजना के उपयोग हेतु प्रस्तावित अनसर्वेड वन भूमि एवं सर्वेड वन भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग भीलवाड़ा
पत्र प्राप्ति 79
क्रमांक
02 JUL 2012

Annex - 19

अतः तहसीलदार रावतभाटा के उक्त प्रतिवेदन अनुसार चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने हेतु अनसर्वेड वन भूमि भुजरकला का 0.878 हैक्टेयर, भैंसरोड़गढ़ पीरमगरा का 2.39 हैक्टैयर कुल 3.27 हैक्टेयर एवं ग्राम श्रीपुरा की वन विभाग के नाम अंकित आराजी नंबर 639 रकबा 9.52 हैक्टैयर में से 0.18 हैक्टैयर कुल 3.448 हैक्टयर वन भूमि का उक्त परियोजना हेतु डायवर्जन किये जाने की स्थिति में वन विभाग के पक्ष में उक्त अनसर्वेड वन भूमि की क्षतिपूर्ति ग्राम भैंसरोड़गढ़ की राजकीय बिलानाम आराजी नबर 32 रकबा 3.29 हैक्टेयर से तथा श्रीपुरा की वन भूमि की क्षतिपूर्ति ग्राम श्रीपुरा की राजकीय बिलानाम आराजी नंबर 651 रकबा 0.30 हैक्टैयर में से 0.18 हैक्टैयर भूमि से किये जाने की सहमति दी जाती है।

आप द्वारा उक्त परियोजना हेतु चाही गई उक्त वन भूमि में वर्तमान में किसी प्रकार का कोई आवास नहीं है और न ही किसी भी आवासीय क्षेत्र सामान्य/ अनुसूचित जनजाति अथवा परम्परागत वन निवासी क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसी प्रकार उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है।

जिला कलेक्टर,
चित्तौड़गढ़

155

80A

166

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर,भीलवाड़ा

क्रमांक : एफ 39–7(1)/आरए/2015/3529 दिनांक28 सितम्बर,2015

तहसीलदार,
आसीन्द ।

विषयः– ग्राम गुढा की वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने हेतु अनसर्वड वन भूमि जिला कोटा, बून्दी, चितौड़गढ व भीलवाड़ा में से वन भूमि का डायवर्जन किया गया। वर्तमान में उक्त पेयजल योजना हेतु 4.794 हैक्टर के बजाय 6.726 हैक्टर वन भूमि अर्थात 1.9324 हैक्टर वन भूमि ओर डायवर्जन हेतु चम्बल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने में आवश्यकता है। इसके लिए अधीक्षण अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड रावतभाटा के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.39–7(1)(सेअ)/आरए/2014 दिनांक 22.09.2015 से ग्राम राजपुरा ग्राम पंचायत तिलोली तहसील आसीन्द की बिलानाम आराजी नम्बर 763 रकबा 2.15 हैक्टर किस्म बीड़, आ0नं0 874 रकबा 45.77 हैक्टर किस्म बंजड़, आ0नं0 875 रकबा 5.59 हैक्टर किस्म बंजड़, आ0नं0 912 रकबा 15.85 हैक्टर किस्म बंजड़ कुल कीता 4 कुल रकबा 69.36 हैक्टर भूमि वन विभाग हेतु लेण्ड बैंक की स्थापना हेतु आरक्षित की जा चुकी है। अधीक्षण अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड रावतभाटा के द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भिजवाई जा रही है।

अतः ग्राम राजपुरा की लेण्ड बैंक हेतु आरक्षित वन भूमि में से 1.9324 हैक्टर भूमि के प्रस्ताव तैयार कर चैकलिस्ट के साथ अपनी स्पष्ट अभिशंषा के साथ नक्शे में लाल स्याही से वन विभाग को स्थानान्तरित की जाने वाली भूमि को दर्शाते हुए रिपोर्ट विशेष वाहक के साथ आज ही भिजवाना सुनिश्चित करें।

अति0 जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः–

1–अधीक्षण अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चम्बल पेयजल परियोजना खण्ड–रावतभाटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2–उप वन संरक्षक– भीलवाड़ा ।

अति0 जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

प्रपत्र सं. पी 26 (A)
(देखिए नियम 13)

केवल नकल के उपयोग के लिए

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम ...... ऊँपुरा ...... पटवार क्षेत्र ...... ऊँपुरा ...... भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ...... तहसील ...... रावतभाटा ...... जिला ...... चित्तौड़गढ़ ...... राजस्थान सम्वत् 2069 से 2072 तक

खेवट (खतौनी) संख्या नई	खेवट (खतौनी) संख्या पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा: रकम	सम्वत् ......के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	सम्वत् ......के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	सम्वत् ......के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	सम्वत् ......के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	सम्वत् ......के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	सम्वत् ......के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	राज सरकार	बिलानाम कृषि योग्य पिछला जम. 38 पर दर्ज कर दिया सत्यप्रतिलिपि प्रति पटवारी 25.7.12	651	0.30	बीड़	—	—	—	नाम. तह. 162 दि. 25.7.13 कलेक्टर महोदय के अनुसार आ.नं. 651 रकबा 0.30 है. में आ.नं. 651/1150 रकबा 0.18 है. किस्म बीड़ मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा वन विभाग (संरक्षित आरक्षित) के नाम दर्ज कागजी स्वीकृती हुई शेष रकबा जमाबन्दी मुताबिक ह. SD						

Code : J-101

स्वांगी, अजमेर फोन : 2632154

प्रपत्र सं. पी 26 (A)
(देखिए नियम 13)

केवल नकल के उपयोग के लिए

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम भैसरोडगढ़ पटवार क्षेत्र भैसरोडगढ़ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भैसरोडगढ़ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान सम्वत् 2066 से 2069 तक

खेवट (खतौनी) संख्या नई	खेवट (खतौनी) संख्या पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा: रकम	सम्वत् ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	सम्वत् ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	सम्वत् ....के लिए: भूमी के ब्यौरे सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	सम्वत् ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	सम्वत् ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	सम्वत् ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	राज. (स्थापा)	बिलानाम काबिल काश्त	32	3.29	बीड़			—	नामान्तरकरण 173 दिनांक आदेश श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ के आदेशानुसार आ.न. 32 रकबा 3.29 है. किस्म बीड़ मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा वन विभाग (सेंचुरी आरक्षित) के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी।						

(सत्य प्रतिलिपि)

P-35 क्रमांक 123 दिनांक पटवारी ... दिनांक

पटवारी
पटवार सर्कल भैसरोडगढ़
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

157

82

168

158 83 169

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा

क्रमांक–39–7 (7)(1)आरए/2013/1767 दिनांक 01–08–2013

आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक सम/1747 दिनांक 23–7–2013 के क्रम में भारत सरकार से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 की पालना मे तहसीलदार बिजोलिया से प्राप्त प्रस्तावानुसार चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने हेतु अनसर्वड वन भूमि ग्राम गुढा तहसील बिजौलिया की आराजी नम्बर 708/1, मे से 1392 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 715/1 मे से 1624 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 956/727 मे से 812 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 1010/728 मे से 696 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 738 मे से 928 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 739 मे से 928 वर्ग, आराजी नम्बर 753 मे से 580 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 767 मे से 928 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 769 मे से 3712 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 770 मे से 1856 वर्ग मीटर कुल किता 10 रकबा 13,456 वर्ग मीटर वन भूमि के डायवर्जन के क्रम में वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम दानपुरा तहसील बिजौलिया की आराजी नम्बर 239/2 रकबा बीघा 3.07 किस्म बजंड जो वन विभाग के नाम आरक्षित हैं को वन विभाग को आवंटन की जाती हैं।

sd/-
(ओंकार सिंह)
जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि –

1–उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया,

2–उप वन संरक्षक भीलवाड़ा

3–अधिशाषी अभियन्ता ,चम्बल भीलवाडा परियोजना खण्ड द्वितीय रावतभाटा

4–तहसीलदार बिजौलिया को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में वन विभाग के नाम अंकन कर जमाबन्दी की प्रति भिजवाये

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

प्रपत्र सं. पी. 26 (N)
(देखिये नियम 13)

(केवल नकल के उपयोग के लिए)

री (खतौनी) ग्राम दांतपुरा पटवार क्षेत्र [illegible] भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] राजस्थान सम्वत् 2068 से 2071

[illegible] 2068

सं.	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-भृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा: रकम	सम्वत्......के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अन्तर्गत-प्रमाणित नामान्तरकरण की संख्या एवं तारीख	सम्वत्......के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत्......के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अन्तर्गत-प्रमाणित नामान्तरकरण आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत्......के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत्......के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अन्तर्गत-प्रमाणित नामान्तरकरण आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत्......के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियां
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	राज० सरकार	बिलानाम [illegible] रास्ता	239	14-05	कंकड़			—		[illegible] 2283 [illegible]		[illegible] 239 [illegible] 2289 [illegible] 21/8/13 [illegible]		[illegible] 239/2 [illegible]	(1)

[illegible]

51

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक एफ.39–7(1)(सेअ)/आरए/2014 /1335 दिनांक 22.09.2015

आदेश

उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के पत्रांक राजस्व/15/1378 दिनांक 04.09.2015 से ग्राम राजपुरा ग्राम पंचायत तिलोली की बिलानाम आराजी नम्बर 763 रकबा 2.15 हैक्टर किस्म बीड़, आ0नं0 874 रकबा 45.77 हैक्टर किस्म बंजड़, आ0नं0 875 रकबा 5.59 हैक्टर किस्म बंजड़, आ0नं0 912 रकबा 15.85 हैक्टर किस्म बंजड़ कुल कीता 4 कुल रकबा 69.36 हैक्टर भूमि का वन विभाग हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना हेतु वन भूमि आरक्षित किए जाने हेतु अपनी अभिशंषा के साथ प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न तहसीलदार आसीन्द की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि वर्तमान में खाली होकर ग्राम पंचायत तिलोली के द्वारा पौधारोपण किया हुआ है जो कि वर्तमान में वन विभाग के कब्जे में है। उक्त भूमियों को वन भूमि के अनारक्षण हेतु लेण्ड बैंक की स्थापना किए जाने में किसी प्रकार की सार्वजनिक आपत्ति नहीं है।

अतः उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द एवं तहसीलदार आसीन्द की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम ग्राम राजपुरा ग्राम पंचायत तिलोली की बिलानाम आराजी नम्बर 763 रकबा 2.15 हैक्टर किस्म बीड़, आ0नं0 874 रकबा 45.77 हैक्टर किस्म बंजड़, आ0नं0 875 रकबा 5.59 हैक्टर किस्म बंजड़, आ0नं0 912 रकबा 15.85 हैक्टर किस्म बंजड़ कुल कीता 4 कुल रकबा 69.36 हैक्टर भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत वन विभाग हेतु वन भूमि लेण्ड बैंक हेतु आरक्षित किया जाता है।

(डॉ0 टीनाकुमार)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ , पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1–उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द
2–उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा
3–तहसीलदार, आसीन्द ।
4–पटवारी हल्का तिलोली।
5–रक्षित पत्रावली ।

(बी.पी. पारीक)
उपवन संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)

अति0 जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

प्रपत्र सं. पी.26 (N)
(देखिये नियम 13)

केवल नकल के उपयोग के लिए

नकल जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम [illegible] पटवार क्षेत्र [illegible] भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible]

तहसील [illegible] जिला भीलवाड़ा राजस्थान सम्वत् 20.70 से 20.73... तक

सेवट (खतौनी) सं. नई	सेवट (खतौनी) सं. पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	कृषक द्वारा संदत्त लगान तथा अन्य शोध्य: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा संदत्त लगान तथा अन्य शोध्य: रकम	सम्वत ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की सं. एवं तारीख	सम्वत ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की सं. एवं तारीख	सम्वत ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की सं. एवं तारीख	सम्वत ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	राज सरकार	बिलानाम [illegible]	763	2.15	[illegible]			—	नोट: [illegible] 301 28-9-15						
				874	45.77	[illegible]				नामान्तरकरण 763 2.15		874 45.77		875 5.59		912 15.85
				875	5.59	[illegible]										
				912	15.85	[illegible]										
				4	69.36				—	कुल 4 खसरा 69.36 हे. भूमि [illegible] वन भूमि [illegible] आरक्षित [illegible]						

आखिर नकल [illegible] सत्य प्रतिलिपि [illegible] राजकार्य हेतु [illegible]
28-9-15

(बी.पी. पारीक)
उपवन संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)

10

52

53

कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाडा

वैकल्पिक भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिले मे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 अन्तर्गत स्वीकृत होने वाले प्रस्तावों में गैर वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु ग्राम राजपुरा , ग्राम पंचायत तिलोली , तहसील आसीन्द (जिला भीलवाडा) मे खसरा नं. 763,774,875, एवं 912 की विशेष प्रयोजनार्थ चिन्हित भूमि 69.36 हैक्टर भूमि एक चक है जो वृक्षारोपण एवं प्रबन्धन हेतु उपयुक्त है। इस समतल भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। इस भूमि का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 12.09.2015 को निरीक्षण किया गया था।

(बी.पी.पारीक)
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा

आर सी बेरवा — 0141-2227039
9414066566

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक : एफ 39–7(1)( )/आरए/15/3471 दिनांक 01 अक्टूम्बर,2015

संयुक्त शासन सचिव,
राजस्व(ग्रुप–3)विभाग,
जयपुर।

विषयः– ग्राम गुढा की वन भूमि के डायवर्जन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भीलवाड़ा चम्बल पेयजल परियोजना हेतु पाईप लाईन बिछाने में जिला बून्दी की 0.732हैक्टर, जिला चितौड़गढ की 0.6044हैक्टर, जिला भीलवाड़ा की 0.6048 हैक्टर कुल 1.9324 हैक्टर वन भूमि आने से पाईप लाईन बिछाने के लिए वन भूमि के बदले बिलानाम भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने के पश्चात ही वन विभाग अपनी वन भूमि को इस कार्य हेतु हस्तान्तरित करेगें।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ. 39–7(1)(सेअ) आरए/2014/1335 दिनांक 22.09.2015 से ग्राम राजगढ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा की बिलानाम आराजी नम्बर 763 रकबा 2.15हैक्टर किस्म बीड़, आ0नं0 874 रकबा 45.77 हैक्टर किस्म बंजड़, आ0नं0 875 रकबा 5.59 हैक्टर किस्म बंजड़, आ0नं0 912 रकबा 15.85 हैक्टर किस्म बंजड़ कुल कीता 4 कुल रकबा 69.36 हैक्टर भूमि को वन विभाग हेतु वनभूमि लेण्ड बैंक हेतु आरक्षित की गई । आदेश की प्रति संलग्न है।

उक्त आदेश की पालना में नकल जमाबन्दी में भी अंकन हो चुका है जिसकी प्रति एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा का आवेदन पत्र दिनांक 19.11.2014 की प्रति संलग्न है। अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रावतभाटा के दिनांक 31.08.2015 के अनुसार चम्बल परियोजना के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु जिला बून्दी की 0.732हैक्टर, जिला चितौड़गढ की 0.6044हैक्टर, जिला भीलवाड़ा की 0.6048 हैक्टर कुल 1.9324 वन भूमि ही डायवर्जन की जानी है। जिसके लिए वन विभाग द्वारा उपरोक्त आराजीयात में से मौका निरीक्षण किया जाकर वन भूमि हेतु आवंटन की जाने वाली भूमि चिन्हित किए जाने से तहसीलदार आसीन्द के द्वारा आराजी नम्बर 874 रकबा 45.77 हैक्टर भूमि में से 1.9324 हैक्टर भूमि को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव चैक लिस्ट मय आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द की आराजी नम्बर 874 रकबा 45.77 हैक्टर वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि में से 1.9324 हैक्टर भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन की राजकीय स्वीकृति प्रदान कराने का श्रम करावें।

संलग्नः– उक्तानुसार ।

भवदीय,

01/10/15
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

R.S.Dakhera/Gen Letter